HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 60,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना जलालपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 208/21 धारा-302,34,201 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण **1. निरंजन उर्फ बब्लू पुत्र प्रताप लोधी 2.शिवकुमारी पत्नी स्व. विदेहीशरन 3.प्रताप लोधी उर्फ मुखिया पुत्र भरोसा** निवासीगण पुरैनी थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर **4.रमाकान्त पुत्र गोधन राजपूत** निवासी करही, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक **एस0 पी0 पी0 विजय सिंह**		**विवेचक-** उ0नि0 विजय सिंह		पैरोकार- थाना जलालपुर का0 अमरेन्द्र मौर्य